

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:- प. 4 (243) वित्त-(1) आ. व्यय/2015/

जयपुर, दिनांक- 26/12/16

कोषाधिकारी,
जिला बांसवाड़ा, बाडमेर, जोधपुर ग्रामीण एवं सीकर
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 594/2016-17)

विषय:- नव सृजित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 की राशि का पी.डी. खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 4 (42) परावि/पीसी/नवसृजित प.स.भ.नि./ बजट / 2014-15/ 4727 जयपुर, दिनांक 20.12.2016 (प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 31/2016-17) में अंकित शर्तों के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरे रूपये पाँच करोड मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुये हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है:-

(राशि लाखों में)

क्र. स.	कोषालय	पंचायत समिति	बजट मद			योग
			मांग संख्या 41	मांग संख्या 51	मांग संख्या 30	
			4515-103-(01)- [01]-16 (आयोजना)	4515-789-(10)- [01]-16 (आयोजना)	4515-796-(11)- [01]-16(आयोजना)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	68.70	13.50	17.80	100.00
2	बाडमेर	समदडी	68.70	13.50	17.80	100.00
3	जोधपुर (ग्रामीण)	सेखाला	68.70	13.50	17.80	100.00
4	जोधपुर (ग्रामीण)	बापिणी	68.70	13.50	17.80	100.00
5	सीकर	पाटन	68.70	13.50	17.80	100.00
योग			343.50	67.50	89.00	500.00

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, अन्य किसी प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141-2227275, ई-मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांक:-एफ 4(42) पंचवि/पीसी/नव सृजित प.स.भ.नि./बजट/2014-15/4727 जयपुर, दिनांक:- 20.12.16

(प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक:-31/2016-17)

विभागीय अधिसूचना दिनांक 5.11.2014 के द्वारा राज्य में 47 नवीन पंचायत समितियों का सृजन किया गया है। बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 165 के अनुसार "नवीन पंचायत समितियों के नवीन भवनो का निर्माण 94 करोड की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस बजट घोषणा की क्रियान्विती के क्रम में संलग्न सारणी में वर्णित 5 पंचायत समितियों हेतु संबंधित जिला कलक्टर से अन्य राजकीय भवन उपलब्ध नही होने बाबत N.A.C. प्राप्त होने तथा भूमी आवंटन हो जाने की स्थिति में कुल लागत के विरुद्ध राज्य मद से देय राशि रूपये 200.00 लाख की 50 प्रतिशत राशि रूपये 100.00 लाख प्रति पंचायत समिति की दर से राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरे रूपये पाँच करोड मात्र) संबंधित पंचायत समिति के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। राशि का विकलेय भद निम्न प्रकार है:-

मांग संख्या 41

4515:- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

103 :- ग्राम विकास।

(01) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रूपये 343.50 लाख।

मांग संख्या 51

4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

789 :- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना।

(10) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रूपये 67.50 लाख।

मांग संख्या 30

4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।

796 :- जनजातीय क्षेत्र उप योजना।

(11) :- निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।

[01] :- जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।

16 :- लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रूपये 89.00 लाख।

कुल योग:-

राशि रूपये 500.00 लाख।


उक्त कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी संबंधित पंचायत समिति होगी। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 331600899 दिनांक 15.12.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. मुख्यालय के दिशा निर्देशों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम तथा सा. वि. एवं लेखा नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

नव सृजित पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु कोषालयवार/पंचायत समितिवार राशि आवंटन का विवरण

(राशि लाखों में)

क. स.	जिला/ कोषालय	पंचायत समिति	बजट मद			योग
			मांग संख्या 41	मांग संख्या 51	मांग संख्या 30	
			4515-103-(01) [01]- 16	4515-789-(10)- [01] - 16	4515-796-(11)- [01]- 16	
1	2	3	4	5	6	7
1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	68.70	13.50	17.80	100.00
2	बाड़मेर	समदडी	68.70	13.50	17.80	100.00
3	जोधपुर	सेखाला	68.70	13.50	17.80	100.00
4	(ग्रामीण)	बापिणी	68.70	13.50	17.80	100.00
5	रीकर	पाटन	68.70	13.50	17.80	100.00
योग			343.50	67.50	89.00	500.00


(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता